तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सन्तोषदेवी बनाम नेमाराम वगैरह मुकदमा नम्बर 125/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
18.03.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 62/2015 बअनुवान नेमाराम बनाम मंगलाराम विचाराधीन रहा है जिसमें दिनांक 22.08.2016 को एकपक्षीय डिक्री पारित की गई जिसकी अपील संख्या 90/2021 माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के यहां प्रस्तुत की जिसपर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा निर्णय दिनांक 06.07.2021 में अपील स्वीकार करते हुए इस न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.08.2016 को निरस्त कर आदेश दिनांक 22.08.2016 से पूर्व की स्थिति बहाल की गई है तथा श्रीमान के न्यायालय में नेमाराम की पुत्री वादीया की ओर से उक्त वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अपीलीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात दिनांक 08.07.2021 को प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की जो न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 06.07.2021 की पालना को रोकने की मंशा से वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसके विरोध में अधिवक्ता वादीया ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीया की पैतृक भूमि है तथा वादीया ने अपनी पैतृक भूमि से हिस्सा प्राप्त करने हेतु वादपत्र पेश किया है उभयपक्षकारान के निवेदन करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 29.09.2022 का अवलोकन किया गया न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.2016 को अपास्त किया जाकर दिनांक 22.08.2016 से पूर्व की स्थिति को बहाल किये जाने आदेश पारित किये गये है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां प्रस्तुत निगरानी संख्या 3120/2021 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2022 में निगरानी कर्ता नेमाराम की निगरानी को खारिज करते हुए न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 06.07.2021 को यथावत रखा गया है तथा वादीया की ओर से यह हस्तगत वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पूर्ववर्ति वाद संख्या 62/2015 में वर्णित आराजी को लेकर ही प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वादीया द्वारा प्रस्तुत उक्त हस्तगत वाद पत्र एवं वाद पत्र के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय की पालना को रोकने की मंशा से प्रस्तुत करना स्पष्ट है तथा उक्त हस्तगत वाद पत्र में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश की पालना पूर्ण रूप से प्रभावी हो रही है तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्ववृति वाद संख्या 62/2015 विचाराधीन है ऐसी स्थिति में विधि का सुस्पष्ट सिद्धांत है कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय प्रभावी होने से उसकी पालना से रोका जाना न्यायसंगत नहीं है इसलिए वादीया का सम्पूर्ण वाद पत्र कानूनन रूप से चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.09.15 15:13:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Scanned with OKEN Scanner